न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार अग्रवाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

अपील (प्रकरण) संख्या :– 40/2019 जीसीएमएस न0 2019/00093

उनवानी प्रकरण :–

भगवानसिंह उम्र करीव 50 वर्ष पुत्र श्री चरनसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम खरगपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर राज0 ---------- अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी धौलपुर ---------- रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद निर्णय दिनांक 11.09.2019 प्रकरण संख्या 01/2019 उनबानी सरकार बनाम भगबानसिंह उचित मूल्य दुकानदार भदियाना द्वारा न्यायालय रसद अधिकारी धौलपुर

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री अशोक दिवाकर एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट की ओर से :– दिव्या कमठान सहा0 लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी

निर्णय **दिनांक 27.09.2022**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 11.09.2022 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की है। संक्षिप्त में प्रस्तुत अपील अनुसार तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ग्राम पंचायत भदियाना में उचित मूल्य दुकानदार है जिसके बिरूद्व दिनांक 31.12.2018 को ग्राम पंचायत भदियाना के नागरिकों द्वारा अपीलान्ट डीलर द्वारा अनियमितताऐं किये जाने के सबंध में रेस्पो0 के कार्यालय में शिकायत प्रस्तुत की गयी थी जिसकी जॉच सुश्री समीक्षा दिनकर प्रवर्तन अधिकारी ने की उक्त जॉच में अपीलान्ट डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को प्रति दो माह में राशन सामग्री का वितरण नहीं किया गया है और शिकायतकर्ताओं के राशन कार्डो की जॉच करने पर माह नवम्बर 2018 एवं दिसम्बर 2018 दो माह का वितरण एक माह दिसम्बर में किया गया है और अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं से दुर्व्यवहार किया जाना बताया गया है। उक्त अनियमितताओं के बावत रेस्पो0 द्वारा अपीलान्ट को अपने आदेश कमांक रसद/अभि./18/01 दिनांक 2.1.2019 से अग्रिम आदेश तक निलम्बित किया जाकर अपीलान्ट को नोटिस कमांक रसद/अभि./18/16 दिनांक 2.1.2019 को जारी किया जिसका सम्यक जबाव अपीलान्ट द्वारा नियत 14.1.2019 को प्रस्तुत किया गया कि माह नबम्बर 2018 का गेहूं अपीलान्ट को दिनांक 26.11.2018 को मिला जिसे दिनांक 28.11.2018 को पॉस मशीन में अपडेट किया गया और प्रार्थी के

पास खद्यान्न बितरण हेतु दो दिन बचे थे उन दोनो दिनों में अपीलान्ट द्वारा दोनो दुकानों पर 2615+215 = 28 क्विंटल 30 किलोग्राम गेहूं का बितरण किया गया था शेष बचे उपभोक्ताओं को एक साथ माह दिसम्बर में दो माह का गेहूं देना न्याय संगत है और जहाँ तक उपभोक्ताओं के दुर्व्यवहार करना बताया गया है लेकिन रेस्पो0 ने अपने नोटिस में किसी उपभोक्ता का ना तो नाम अंकित किया है और न ही उन उपभोक्ताओं की शिकायत व बयान पेश किये है और बिना किसी अधिकार के अपीलान्ट के खाद्यान्न की दुकान को अस्थाई अटेचमेन्ट उचित मूल्य दुकानदार के लिये बद्रीप्रसाद ग्राम पंचायत निधेराकला तहसील सैपऊ को किया गया और स्टाक हस्तांतरण की रसीद मुताबिक अप्रार्थी डीलर द्वारा श्री बद्रीप्रसाद को गेहूं 72.87 क्विटंल, केरोसीन शून्य,चीनी शून्य का हस्तांतरण किया गया है और कार्यालय रिकार्ड के मुताबिक दिनांक 2.1.2019 को पॉश मशीन संख्या 9867 की मद में गेहूं 72.87 क्विटंल, केरोसीन 2945.50 लीटर, चीनी 694.50 किग्रा स्टॉक उपलब्ध था जिसका अपीलान्ट ने अटेचमेन्ट उचित मूल्य दुकानदार बद्रीप्रसाद को अदिनांक तक हस्तांतरण नहीं किया है जिसके आधार पर रेस्पो. ने मनमाने आदेश दिनांक 2.1.2019 को बिना नोटिस प्रचारित किये बिना नोटिस दिनांक 2.1.2019 को अपीलान्ट के लाईसेन्स को निलम्बित कर दिया और उक्त निलम्बन के आधार पर मनमाने तरीके से अपने निर्णय दिनांक 11.9.2019 को अपीलान्ट को सुने बिना अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत भदियाना 1/2 भाग तहसील सैपऊ को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11 व 17 सी का उल्लधंन मानते हुये अपीलान्ट की जमा अमानत राशि को जप्त सरकार कर दिया और अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र संख्या 86/2007 को निरस्त कर दिया जिससे ब्यथित होकर अपीलान्ट ये यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि रेस्पो0 ने अपीलान्ट को नोटिस प्रचारित किये बिना और अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अबसर दिये बिना एवं सुनवाई का अबसर दिये बिना प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तो के बिपरीत जाकर उक्त आक्षेपित निर्णय दिनांक 11.9.2019 को पारित कया है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पो0 ने अपने निर्णय में यह कथन किया है कि अपीलान्ट के पास दिनांक 2.1. 2019 को पॉश मशीन संख्या 9867 की मद में गेहूं 72.87 क्विं. केरोसीन 2945.50 लीटर, चीनी 694.50 किग्रा स्टाक उपलब्ध था लेकिन रेस्पो0 ने अपीलान्ट पर केरोसीन 2945.50 लीटर का स्टॉक बताया है और रेस्पो0 ने जो स्टॉक की प्रति पेश की है उस पर न तो किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर है और उसमें केरोसीन 2945.50लीटर के बजाय केरोसीन 2945 लीटर ही अंकित है जो कि बिस्वनीय नहीं है। रेस्पो0 ने माह फरवरी 2019 को समस्त डीलरो की केरोसीन स्टॉक की रिकबरी दिनांक 1.2.2019 तक निकाली है जिसमें अपीलान्ट का स्टॉक 855 लीटर अंकित है फिर रेस्पो0 ने किस आधार पर अपीलान्ट पर केरोसीन का स्टॉक 2945.50लीटर निकाला है जो कि उक्त केरोसीन स्टॉक आपस में बिरोधाभाषी है। रेस्पोडेन्ट ने पत्रावली पर किसी भी उपभोक्ता के अपीलान्ट द्वारा किये गये दुर्व्यवहार बावत कोई बयान दर्ज नहीं कराये है और न ही ऐसा कोई बयान किसी उपभोक्ता का पत्रावली पर उपलब्ध है। अपीलान्ट ने माह सितम्बर 2017 से माह दिसम्बर 2018 चीनी का उठाव बितरण ब्योरा मांगा था जिसे कि रेस्पो0 ने अपीलान्ट को

आज तक नहीं दिया। अपीलान्ट को चीनी का उठाव व बितरण से किया गया है तो फिर रेस्पो0 ने अपने निर्णय में कब कितना उठाव व बितरण किया गया उसका कोई बिवरण अपने निर्णय में अंकित क्यो नहीं किया है और रेस्पो0 ने इसका भी कोई सम्यक कारण अंकित किये बिना पॉस मशीन में 06 क्विं. 94.50 किग्रा का अपडैट करके फर्जी तरीके से करके आक्षेपित निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पो0 ने अपीलान्ट के लाईसेन्स को दिनांक 2.1.2019 को निलम्बन कर दिया था जिसे कि अधिकतम 90 दिवस तक ही निलम्बित किया जा सकता है लेकिन फिर भी रेस्पो0 ने 08 माह बाद अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया है जो कि राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन)1976 के आदेश 8(2)के सिद्धान्तो के बिपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित किया है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील, अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.09.2019 अपास्त किया जाकर अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 86/2007 बहाल किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर अपील की पत्रावली के साथ संलग्न की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि रैस्पो0 ने दिनांक 2.1.2019 को अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निलम्बित करने से पूर्व नोटिस का जबाव का अवसर दिये बिना और अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना एवं सुनवाई का अबसर दिये बिना प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तो के बिपरीत जाकर उक्त आक्षेपित निर्णय दिनांक 11.9.2019 को पारित कया है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। माह नवम्बर 2018 का गेहूं अपीलान्ट को दिनांक 26.11.2018 को मिला जिसे दिनांक 28.11.2018 को पॉस मशीन में अपडेट किया गया और प्रार्थी के पास खद्यान्न बितरण हेतु दो दिन बचे थे उन दोनो दिनों में अपीलान्ट द्वारा दोनो दुकानों पर 2615+215= 28 क्विंटल 30 किलोग्राम गेहूं का बितरण किया गया था शेष बचे उपभोक्ताओं को एक साथ माह दिसम्बर में दो माह का गेहूं देना न्याय संगत है। रेस्पो0 ने अपने निर्णय में यह कथन किया है कि अपीलान्ट के पास दिनांक 2.1.2019 को पॉश मशीन संख्या 9867 की मद में गेहूं 72.87 क्विं. केरोसीन 2945.50 लीटर, चीनी 694.50 किग्रा स्टाक उपलब्ध था लेकिन रेस्पो0 ने अपीलान्ट पर केरोसीन 2945.50 लीटर का स्टॉक बताया है और रेस्पो0 ने जो स्टॉक की प्रति पेश की है उस पर न तो किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर है और उसमें केरोसीन 2945.50लीटर के बजाय केरोसीन 2945 लीटर ही अंकित है जो कि बिस्वनीय नहीं है। रेस्पो0 ने माह फरवरी 2019 को समस्त डीलरो की केरोसीन स्टॉक की रिकबरी दिनांक 1.2.2019 तक निकाली है जिसमें अपीलान्ट का स्टॉक 855 लीटर अंकित है फिर रेस्पो0 ने किस आधार पर अपीलान्ट पर केरोसीन का स्टॉक 2945.50लीटर निकाला है जो कि उक्त केरोसीन स्टॉक

आपस में बिरोधाभाषी है। रिकार्ड गलत पेश किया है। वर्ष 2017 से चीनी का आवटंन ही नहीं हुआ। पॉसमशीन का सही रिकार्ड देखा जाये। जहाँ तक उपभोक्ताओं के दुर्व्यवहार करना बताया गया है लेकिन रेस्पो0 ने अपने नोटिस में किसी उपभोक्ता का ना तो नाम अंकित किया है और न ही उन उपभोक्ताओं की शिकायत व बयान पेश किये है। अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं से कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा राशन वितरण में अनियमितताऐं पाये जाने पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 2.1.2019 को अग्रिम आदेश तक निलम्बित किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस कमांक 16 दिनांक 2.1.2019 जारी किया गया। अपीलार्थी ने उपस्थित होकर नोटिस का जबाव पेश किया। अपीलार्थी द्वारा राशन वितरण में अनियमितताऐं करने के कारण राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो संख्या 11 व 17 (सी) का स्पष्ट उल्लंधन करने पर कार्यालय के आदेश दिनांक 11.09.2019 द्वारा निरस्त किया गया है। अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। राशन वितरण में अनियमितताऐं प्रमाणित होने पर उसको जारी प्राधिकार पत्र संख्या 86/2007 जिला रसद अधिकारी धौलपुर के आदेश दिनांक 11.09.2019 के द्वारा निरस्त किया गया है। आदेश दिनांक 11.09.2021 सही है इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.09.2021 यथावत रखा जावे ।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत भदियाना के नागरिकों द्वारा दिनांक 31.12.2018 को प्रस्तुत शिकायत पर अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की जांच प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं को प्रति दो माह में राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं के राशन कार्डो की जांच करने पर माह नबम्बर 2018 एवं दिसम्बर 2018 दो माह के राशन का वितरण एक माह दिसम्बर में किया गया है। अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं से दुर्व्यवहार किया जाना बताया गया है। उक्त अनियमितताऐं किये जाने पर अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र दिनांक 02.01.2019 को अग्रिम आदेश तक निलम्बित किया गया तथा वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु अस्थाई अटैचमेन्ट श्री बद्रीप्रसाद उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत निधेराकला से किया गया। अटैच उचित मूल्य दुकानदार श्री बद्रीप्रसाद द्वारा जमा कराई गई स्टाक हस्तांतरण की रसीद के मुताबिक अपीलान्ट डीलर द्वारा श्री बद्रीप्रसाद को गेंहू 72.87 क्वि., केरोसीन शून्य चीनी शून्य का हस्तांतरण किया गया है। कार्यालय रिकार्ड के मुताबिक दिनांक 02.01.2019 को पॉसमशीन संख्या 9867 के मद में गेहू 72.87 क्वि., चीनी 694.50 कि.ग्रा., केरोसीन 2945.50 लीटर का स्टॉक उपलब्ध था। इस प्रकार अपीलान्ट डीलर द्वारा 694.50 कि.ग्रा. चीनी, 2945.50 लीटर केरोसीन का स्टॉक अटैच उचित मूल्य दुकानदार श्री बद्रीप्रसाद को आदिनांक तक हस्तांतरण नही किया गया है। इस बाबत अपीलान्ट डीलर को पत्रांक/रसद/स्था./19/1803 दिनांक 02.08.2019 द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसके जबाव में अपीलान्ट डीलर ने माहवार हिसाब की मांग की तथा अपीलान्ट डीलर ने पॉस मशीन 9867 के उपलब्ध स्टॉक की दिनांक 04.01.2019 की प्रति भी

संलग्न की गई थी जिसमें तत्समय उपलब्ध कैरोसीन 0.50 लीटर था इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट डीलर द्वारा पॉस मशीन में भी कैरोसीन स्टॉक का इन्द्राज नहीं किया गया था। पुन संशोधित नोटिस कमांक 2031 दिनांक 21.08.2019 जारी कर अपीलान्ट डीलर को कैरोसीन का माहवार हिसाब भेजते हुए जरिये अंतिम नोटिस अवसर दिया जाकर अन्दर 07 दिवस मे स्टॉक हस्तांतरण कर कार्यालय को सूचित किये जाने हेतु लिखा गया था इसके बावजूद भी अपीलान्ट डीलर द्वारा अटैच उचित मूल्य दुकानदार श्री बद्रीप्रसाद को स्टॉक का हस्तांतरण नहीं किया गया है। अपीलान्ट के अभिभाषक का कथन है कि उसके पास कोई स्टॉक शेष नहीं है जबकि कार्यालय रिकार्ड के मुताबिक दिनांक 02.01.2019 को पॉसमशीन संख्या 9867 के मद में गेहू 72 87 क्वि., चीनी 694.50 कि.ग्रा., केरोसीन 2945.50 लीटर का स्टॉक उपलब्ध था। इस प्रकार अपीलान्ट डीलर द्वारा 694.50 कि.ग्रा. चीनी, 2945.50 लीटर केरोसीन का स्टॉक अटैच उचित मूल्य दुकानदार श्री बद्रीप्रसाद को आदिनांक तक हस्तांतरण नही किया गया है। उक्त आरोपो के सम्बध में अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है जिससे इन आरोपा का खण्डन हो सके। अपीलान्ट के अभिभाषक का यह कहना भी गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई बावत कोई नोटिस जारी नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को अपना जबाव प्रस्तुत करने हेतु नोटिस कमांक 16 दिनांक 02.01.2019, नोटिस कमांक 1803 दिनांक 2.8.2019 जारी किये गये है। अपीलार्थी ने उपस्थित होकर उक्त नोटिसों का जबाव भी पेश किया है। इस प्रकार अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.09.2019 यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हों ।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर
धौलपुर

जिला कलक्टर न्यायालय धौलपुर (राज0)